975
5-6-2002

20 Rs.

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

२०रु.　　20Rs

TWENTY RUPEES

किस्म वसीका　　　　**ट्रस्ट नामा**

शान्ती एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट

स्टाम्प　　　　45/- रूपये।

किताबत　　　　तीन।

इस ट्रस्ट की स्थापना आज दिनांक 5 जून 2002 को श्रीमती सन्तोष यादव धर्मपत्नी श्री मधुसूदन यादव उम्र 45 साल निवासी सती कालोनी रिवाड़ी ने मु0 5,000/-रूपये (पांच हजार रूपये) की राशि देकर की है ताकि ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा,स्वास्थ्य,धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र के कार्य व अन्य कार्य व अन्य किसी प्रकार का कार्य जिससे जन साधारण मानव जीव जन्तु की बैगर जाति,धर्म व लिंग के के आधार पर मदद की जा सके। श्री मती सन्तोष यादव निम्न व्यक्ति को बतौर ट्रस्टी नियुक्त करती है

1- श्रीमती सन्तोष यादव स्वयं संस्थापक (प्रधान)
2- श्री उमराव सिंह सुपुत्र श्री सालिग राम निवासी भूण्ण कलां तहसील नारनोल।
3- श्री शशी भूषण गुप्ता (सामाजिक कार्यकरता) सुपुत्र श्री नानु राम निवासी माडल टाउन रिवाड़ी।
4- श्री वास देव रणदेव रिटायर्ड प्रोफेसर (एडवोकेट)।
5- श्री अमर सिंह सुपुत्र श्री उमराव सिंह निवासी नारनौल। (एडवोकेट)
6- श्री अमित यादव सुपुत्र श्री मधुसूदन यादव निवासी सती कालोनी रिवाड़ी।
7- श्रीमती सरोज गुप्ता (सामाजिक कार्यकर्ता) धर्मपत्नी श्री शशिभूषण गुप्ता निवासी माडल टाउन रिवाड़ी ।
8- श्री राज कुमार यादव (प्रोफेसर बी. एड. कालेज) सुपुत्र श्री दुरबीन सिंह निवासी सैक्टर 3 रिवाड़ी।
9- मदन पाल सुपुत्र श्री दुर्गा सिंह निवासी ग्राम व डाकधर मोहाना जिला बुलंदशहर यूपी।
10 श्री कपिल यादव सुपुत्र श्री मधुसूदन यादव निवासी रिवाड़ी।
11- श्री रोशन लाल (सामाजिक कार्यकर्ता) सुपुत्र श्री शिव नारायण निवासी नांगलोई दिल्ली।

Santosh yadav

Madhusudan Public School
Rekha yadav
Principal

1204 17086 02
2002
गा-नौ पुस्तक क्रं 4 रजिस्टर 25 पेज ... ... दिनांक 17/4/2002

प्रलेख न: 975

दिनांक 05/06/2002

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम TRUST

तहसील/सब-तहसील रिवाडी

गांव/शहर रेवाडी

धन सबंधी विवरण

स्टाम्प ड्यूटी की राशि 45.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50.00 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनॉक 05/06/2002 दिन बुधवार समय 4/5 बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सन्तोष यादव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मधुसूदन निवासी रेवाडी द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

Santosh yadav

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
रिवाडी

श्री सन्तोष यादव

उपरोक्त न्यासकर्ता व श्री - न्यासी हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी लालचन्द नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी रेवाडी व श्री/श्रीमती/कुमारी सुरेशचन्द पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री नानकचन्द निवासी रेवाडी ने की।
साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनॉक 05/06/2002

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
रिवाडी

Madhusudan Public School
Rekha yadav
Principal

20 R

बीस रुपये

भारत INDIA

TWENTY RUPEES

२०रु. 20RS

नाम ट्रस्ट — शान्ति एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट होगा।

मुख्य कार्यालयः- — शान्ति एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट।
केयर आफ श्रीमति सन्तोष यादव धर्मपत्नी श्री मधुसूदन
शास्त्री कालोनी, रेवाड़ी 123401 (हरियाणा)

कार्यक्षेत्रः- — समस्त भारत एवम संसार मे कही भी किसी देश में।

उद्देश्य

1- जन साधारण व समाज के हर वर्ग को शिक्षित करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओ व छात्रावासो या - लड़के अथवा लड़कियो अथवा को-एजुकेशन (Boys & Girls or Co Education's) के लिये निमार्ण कराना व प्रबन्ध कराना उनकी देखभाल करना जिसमे नर्सरी, प्राईमरी, मिडिल, मैट्रिक - सिनियर सकेण्डरी - डिग्री कालेज- पोस्ट ग्रेजुएट कालेज - कॉमर्शियल- इण्डस्ट्रीयल Art-Technical- Physical- Medical- Engineering व अन्य सभी प्रकार की शिक्षा जो (अग्रेजी- हिन्दी या अन्य भाषा भारतीय या विदेशी भाषा) मे दी जा सके। पुस्तकालय एवंम अध्ययनकक्ष का प्रबन्ध करना, एवं जरूरत मंद विद्यार्थीयो की Necessary requirement को पुरा करना।

2- जन स्वास्थ्य हेतु प्राकृतिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व एलोपैथिक पद्वति की सुविधा हेतु डिस्पैन्सरी- हस्पताल- लेबोरेट्री का प्रबन्ध करना तथा योगाभ्यास की सुव्यवस्था कराना व Orpham Homes - Homes for widows -oldmen/women and infants creches for babies of working women, Leprosy Home and Dharamshala etc. उपरोक्त सभी का निर्माण कराना- प्रबन्ध कराना व देखभाल कराना तथा चल/ अचल हस्पताल की व्यवस्था करना।

3- जन साधारण व समाज के हरवर्ग के विद्यार्थीयो- व्यक्तियो- महिलाए/ लड़कीयो के लिये हर प्रकार की कम्पीटीशन परीक्षा (Competition Examination) के लिये Guideness & Coaching की व्यवस्था करना। शिक्षाहेतु मुद्रण (Printing) की व्यवस्था करना।

Santosh yadav

Madhusudan Public School
Rekha yadav
Principal

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

5 Rs

4- किसी भी योग्य व्यक्तियो/ सोसायटी,ट्रस्ट, संस्थान, संगठन, शैक्षिक संस्थान, प्रयोगशालाए जो कि शिक्षा, विज्ञान- हस्तशिल्पकला- कृषि- साहित्य एवं कला की प्रगति मे लिप्त हो या कार्य कर रहे हो या कोई शोध कार्य कर रहे हो। जो जन कल्याण हेतु उपयोग हो सके। (उपरोक्त कालम 4 मे उन सभी को वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति, इनाम,अनुदान Loan (Refundable or Non refundable) देना।

5- ग्रामीण विकास के कार्य ग्रामीण लोगों के लिये जिससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण हो की मदद करना।

6- भूकम्प- बाढ- महामारी एवम् अन्य प्राकृतिक आपदा मे पीड़ित लोगो की मदद करना।

7- जन सुविधाऐ (मोहल्ला- गावं- कस्बाअथवा शहर मे) जैसे शोचालय, नालिया, सड़के- प्याऊ- धर्मशाला तालाब, पीने का पानी व अन्य जनसुविधाओं का निर्माण करना एवं देखभाल करना।

8- सेमीनार, सभा,कक्षाए, भाषण, सम्मेलन, प्रतियोगिताऐ - फिल्म शो, म्युजिक एवम् नृत्य शो, Exibition इत्यादि का आयोजन कराना। जिससे ट्रस्ट की उदेश्यो की पूर्ति होती हो।

9- निरक्षर बच्चों व प्रोढ लोगों की शिक्षा का प्रबन्ध करना। गरीब वर्ग के लिऐ शिक्षा मे काम आने वाली पुस्तको एवं स्टेशनरी व अन्य वस्तुओ का/ गरीबो के लिये खानपान- कपड़ा व मकान- शौचालय- पीने का पानी- दवाईयों, मैडिकल सुविधा व अन्य जीवनापयोगी वस्तुओं का प्रबन्ध करना ताकि समाज के हर गरीब वर्ग का जाति धर्म के बगैर भेदभाव किये भला हो सके व ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति होती हो।

10- To provide Higher education & quality education in every field with the collaboration of any (Indian University or Foriegn University) agency उच्च शिक्षा एवम Quality education उपलब्ध कराने हेतु अथवा ट्रस्ट के अन्य उदेश्यो का पुरा करने हेतु किसी (भारतीय विश्वविद्यालय एवम विदेशी विश्वविद्यालय)

Madhusudan Public School

Santosh yadav

Rekha yadav

Principal

अथवा एजेन्सी के साथ अनुबन्ध (Collaboration) करना – सहायता लेना, Permission लेना, Affiliation लेना या अन्य कानुनी कार्यवाही पूरी करना ताकि गुणवता के आधार पर जरूरत मन्द की मदद की जा सके व ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति होती हो।

11- To do all such other lawful acts, deed or things as are incidental or conclusive to the attainment of any of the object of the Trust.

12- (The Trust is hereby expresely declared to be a charitable Trust) यह ट्रस्ट समपूर्ण रूप से एक धमार्थ ट्रस्ट धोषित किया गया है एवम ट्रस्ट व ट्रस्टीयों (Trustees) के सभी नियम व अधिकार धारा 2(15),11,12, 12 ए, 13, 80 जी के अनुरूप हो अथवा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एवमं (or any statutory modification) के अनरूप हो। एवम ट्रस्ट के प्रधान एवं बोर्ड आफ ट्रस्टीज को यह अधिकार है कि वे किसी भी धर्मार्थ एवं जन कल्याण कार्यो के उदेश्यो मे शामिल कर सकते है।

<u>संस्था के उदेश्यो की पूर्ति हेतु प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज निम्न कार्यकर सकते है :–</u>

1– यह कि किसी भी व्यक्ति विशेष ट्रस्ट के संस्थापक, एवं सदस्यो, फर्म, संगठन, सोसायटी अथवा संस्था जो कि ट्रस्ट के उदेश्यो मे रूचि रखता हो से भैंटे,अनुदान 9 (Gift and donation) तोहफे व अन्य साधन राशि व चल अचल सम्पति के रूप मे प्राप्त करना।

2– यह कि ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति हेतु कोई जमीन,भवन,सम्पति,जायदाद, खेल का मैदान, पार्क, खेती की जमीन व अन्य चल अचल सम्पति आदि के इस्तेमाल कब्जा, हक के अधिकार प्राप्त करना (जो कि भेटे, लीज, किराया अथवा मालिकाना हक खरीद कर प्राप्त की गई हो)

3– यह कि ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति हेतु ट्रस्ट व ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ की चल–अचल सम्पति को किराऐ व लीज पर लेना देना फेर बदल करना,भेट करना खरीदना, बेचना इत्यादि व ट्रस्ट के उदेश्यो की पूति हेतु ट्रस्ट की चल अचल सम्पति को सिक्योरिटी अथवा बिना सिक्योरटी गिरवी रखना आंवा धन जुटाने के लिये सम्पति बंधक बनाना इत्यादि।

4- यह कि ट्रस्ट की रकम अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की हुई रकम व चल अचल सम्पति को ट्रस्ट की उदेश्यो की पूर्ति हेतु निवेश करना हो, किसी बैंक/ डाकधर अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व एजेन्सी मे रकम को Current /Saving अथवा FDR के रूप जमा कराना- निकलवाना व फेर बदल करना तथा ट्रस्ट की रकम अथवा किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की हुई रकम, चल,अचल सम्पति, किसी भी रकम का ड्राफट, चैक, अथवा रकम से सम्बन्धित कागजात का लेना व देना, निवेश करना, जमा करना, निकालना व फेर बदल करना, रकम सम्बधिंत लेन देन का अन्य कार्य करना एवम् लेन देन सम्बन्धी अन्य कार्य जो ट्रस्ट के उद्देश्यो के अनुरूप हो।

Santosh yadav

Madhusudan Public School
Rekha yadav
Principal

5- ट्रस्ट की राशि को किसी राष्ट्रीकृत बैंक/डाकखाना व अन्य राष्ट्रीय एजेन्सी मे ट्रस्ट के नाम लेखा खोल कर राशि जमा करना- निकलवाना- सैविंग खाता -चालू खाता Fix deposits या अन्य खाते खोलना। जिसे ट्रस्ट का प्रधान व सचिव अपने हस्ताक्षर से मिलकर अथवा अकेले (Either or survviser) operate करेगे।

Powers of the Trustees:-(शक्तियां)

1- ट्रस्ट के सभी मामले तथा सम्पति के प्रबन्धन तथा कन्ट्रौल की शक्यिा एक कमेटी को होगी जिसे बोर्ड आफ ट्रस्टीज कहा जायेगा। बोर्ड आफ ट्रस्टीज के संस्थापक ट्रस्ट सहित कुल 3 सदस्य होगे।

2- ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति हेतु Governing Body (संचालन कमेटी का गठन किया जावेगा जो कि ट्रस्ट के ही सदस्य होगे। जिनमे पदाधिकारी व executive कमेटी के सदस्य होगे। (1) प्रधान (2) उपप्रधान (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष व 3 अन्य कार्यकारणी सदस्य होगे। Governing Body का गठन करने या नामांकन करने का पूरा अधिकार प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किया जायेगा।

3- बोर्ड आफ ट्रस्टीज या उसके मैम्बर अथवा Governing Body व उसके पदाधिकारी व सदस्य अपने प्रबन्धन कन्ट्रोल की शक्तियो का अगर दुरूपयोग करती है जिससे ट्रस्ट के उदेश्यो को पूरा करने मे बाधा आती है तो संस्थापक ट्रस्ट अथवा प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह बोर्ड आफ ट्रस्टीज या इसके किसी सदस्य/सदस्यो अथवा Governing Body (संचालन केटी) सम्पूर्ण या उसके पदाधिकारियो अथवा कार्यकारिणी सदस्य को निलम्बित अथवा डिसमिस कर सकती है व ट्रस्ट के दुसरो सदस्यो को नोमीनेट करके अन्य बोर्ड आफ ट्रस्टीज अथवा Governing Body का निमार्ण कर सकती हैं

4- ट्रस्ट के सभी मामलो की प्रबधन तथा कन्ट्रोल की शक्तियां प्रधान बोड आफ ट्रस्टीज को होगी व ट्रस्ट के उदेश्यो को कार्यन्वित करने व उन्हे सफल बनाने हेतू ट्रस्ट की आमदनी व चल/अचल सम्पति का खर्च व उपयोग कर सकती हैं।

5- ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबधंन करने हेतू प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज Any committee of Trusties या अन्य ट्रस्टी व्यक्तिगत/ अथवा अन्य व्यक्ति को प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज अपनी प्रबंधन व कन्ट्रोल की शक्तिया निश्चित समय के लिये दे सकती है ताकि संस्थाओ का प्रबधंन सुचारू रूप से चल सके।

6- यह कि प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के नाम पर किसी भी राशि-सम्पति-जायदाद चल/अचल सम्पति को किसी एक या अनेक के नाम रख सकते है जैसा कि समय समय पर प्रधान बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा निर्णय लिया जाऐगा।

Santosh yadav

Madhusudan Public School
Rekha yadav
Principal

7- यह कि ट्रस्ट के प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज को किसी दुसरे ट्रस्ट, संस्था, सोसायटी, मे समावेश कर सकते है अथवा सहयोग कर करते है। जिनका उदेश्य ही ट्रस्ट के समान हो और आम जनसाधारण की भलाई व कल्याण के लिये हो।

8- यह कि ट्रस्ट के प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज किसी दुसरे अन्य धर्मार्थ संस्थान/ट्रस्ट/ संस्थाओ, सोसायटी का प्रबंधन के अधिकार व शक्तियो भी प्राप्त कर सकते है जिसमे की ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति हेतु जन साधारण की मदद कर सके।

9- यह कि ट्रस्ट के उदेश्यो के साथ कोई धर्मार्थ संस्था/ हस्पताल/शिक्षण संस्थाए इत्यादि संस्था पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत करा सकते है जिसको ट्रस्ट की आमदनी व सम्पति चल/अचल स्थानान्तरण की जा जा सके जिसके नियम ट्रस्ट के प्रावधानो के अनुसार होगे। जिनका समय समय पर बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा जरूरतानुसार बदलाव किया जा सके।

10- यह कि प्रधान बोर्ड आफ ट्रस्टीज उपरोक्त ट्रस्ट के सुचारू संचालन व इसके उदेश्यो की पूर्ति के लिये समय समय पर कायदे- कानुन- नियम उप नियम या अन्य अधिकार व शक्तियां बना सकते है हटा सकते है बदल सकते है या अन्य कोई भी किया कलाप जो जरूरी हो कर सकते है।

11- यह कि शान्ती एजुकेशन एवम चैरीटेबल ट्रस्ट की संस्थापक श्री मती सन्तोष यादव आजीवन ट्रस्ट की प्रधान रहेगी। जब तक कि वह स्वयं त्याग पत्र नही दे देती अथवा शरिरिक रूप से असमक्ष नही हो जाते अथवा मृत्यु होने पर संस्थापंक मुख्य ट्रस्टी की अन्य ट्रस्टी को अपना अधिकार देने या मुख ट्रस्टी बनाने अथवा अपना उतराधिकारी बनाने का पुरा अधिकार होगा।

12- यह कि ट्रस्ट के कुल सदस्यो की संख्यां जो कि ट्रस्टीज कहलाऐंगे 3 से कम व ग्यारह से ज्यादा नही होगी।

13- यह कि प्रधान/ बोर्ड आफ ट्रस्टीज को बुहमत के आधार पर ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति हेतु किसी भी चल अचल सम्पति, जायदाद को लीज व किराया पर लेने या देने, खरीदने व बेचने का पूर्ण अधिकार होगा।

14- यह कि किसी व्यक्ति -संस्था - सोसायटी या अन्य द्वारा अपनी रकम, सम्पति जायदाद,चल अचल ट्रस्ट को किरायेदारी (Rent) Lease लीज (रजिस्टर्ड) अथवा किसी अन्य रूप मे इस्तेमाल करने व ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति हेतु निश्चित समय के लिये किराये अथवा लीज पर ली हुई रकम, सम्पति जायदाद/चल/अचल तो निश्चित समय पुरा होने पर वह रकम, सम्पति जायदाद (चल- अचल) ट्रस्ट द्वारा उसके मालिक (Owner) अथवा उसके वारसान को वापिस कर दी जावेगी।

15- यह किट्रस्ट ने अपने उदेश्यो की पुति हेतु उपरोकत किराये या लीज पर ली हुइ सम्पति, भूमि जायदाद (चल - अचल) पर कोई निमार्ण कार्य कर लिया हो कोई नई बिल्डिंग बना ली हो अथवा उस जायदाद या समपति का स्वरूप बदल दिया गया हो तो भी निश्चित अवधि पूरी होने पर व जायदाद उसके मालिक या उसके वारसान को (कब्जा व हक समेत) वापिस कर दी जाऐगी व उसका कोई कम्पनसैशन (मुआवजा) नही लिया जायेगा।

Madhusudan Public School

Santosh yadav Rekha yadav

Principal

16- यह कि किसी व्यक्ति विशेष,संस्था, सोसायटी या अन्य द्वारा दान, भेंटे किराए या लीज पर ली हुई रकम/चल,अचल सम्पति जो कि ट्रस्ट को ट्रस्ट के उदश्यो की पूर्तिके लिए दी गई हो किसी कारणवश ट्रस्ट उस रकम, चल,अचल सम्पति (जो कि दान, भेंट किराऐ अथवा लीज पर ली हुई हो) को दुरूपयोग करता हो व ट्रस्ट के उद्‌श्यो के अनुरूप इस्तेमाल नही करता तो मालिक जायदाद चल,अचल सम्पति व रकम को अपना हक व कब्जा ट्रस्ट से वापिसी लेने का अधिकार रखता है।

17- यह कि शान्ती एजूकेशन चैरीटेबल ट्रस्ट, रेवाडी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाए, छात्रावास, हस्पताल व अन्य जन कल्याण हेतु काम को किसी अन्य नाम पर या स्थान पर भी चलाया जा सकता है बशर्ते की ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हो।

18- यह कि ट्रस्ट के उदेश्यो की जन कल्याण पूर्ति हेतु अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था/ परिवार या अन्य कोई स्त्रोत अपनी रकम जायदाद (चल-अचल) सम्पति को ट्रस्ट को दान देता है या निश्चित समय के लिये किराऐ अथवा लीज पर देता हे और दान कर्ता अथवा अन्य व्यक्ति परिवार, संस्था ट्रस्ट, बिरादरी यह शर्त रखे की (ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था) उसके अनुसार उनके नाम व उनके स्थान पर हो (यानि उदाहरण स्वरूप श्री हरिओम या श्यामसुन्दर या राम सिंह या अन्य किसी ने अपनी भूमि-जायदाद (चल - अचल) ट्रस्ट को दान दी हे अथवा निश्चित समय के लिये किरायेदारी अथवा लीज पर दी है और दान करने वाला या किरायेदारी और लीज पर देने वाला व्यक्ति यह चाहे की ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था जो जन कल्याण हेतु हो का नाम (हरिओम/ श्यामसुन्दर/ रामसिंह या अन्य स्कूल, कालेज या डिस्पेन्सरी या हस्पताल या अन्य संस्था) रखा जाए तो प्रधान बोर्ड आफ ट्रस्टीज को अधिकार होगा वह इस प्रकार के दान अथवा लीज अथवा किराये पर ली हुई सम्पति जायदाद (चल अचल) को स्वीकार करे व दानी अथवा लीज कर्ता इत्यादि को प्रस्ताव अनुसार उसका नाम व स्वरूप व स्थान रख दे। लेकिन वह सभी कार्य जन कल्याण हेतु होगा जिसमे ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति होती हो।

18- यह कि प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज, ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओ मे जरूरत के मुताबिक कक्षाओ Section वर्ग को ज्यादा किया जा सकता है जरूरत नही होने पर कक्षा व Section को कम या खत्म किया जा सकता है संस्थाओ के किसी भी वर्ग के कर्मचारी,अधिकारी को निलम्बित अथवा सेवा मुक्त किया जा सकता है।

19- यह कि प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा ट्रस्ट के हर वर्ग के कर्मचारी व अधिकारी व ट्रस्ट द्वारा सचालित संस्थाओ के हर वर्ग के कर्मचारी अथवा अधिकारी (ट्रस्ट या ट्रस्ट द्वारा संचालित्त संस्थाओ) को ट्रस्ट के उदेश्यो के खिलाफ, गैर कानुनी काम करने, असामाजिक व्यवहार करने या अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान पहुचाने की चेष्टा करने अथवा किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किये जाने पर उनको निलम्बित अथवा सेवा मुक्त किया जा सकता है।

20- यह कि प्रधान/ बोर्ड आफ ट्रस्टीज, ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति हेतु ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ का निर्माण करना- अन्य संस्थाऐ बनाना - उनका प्रबंधन एवम संचालन करना व हर प्रकार का सहयोग देना व जरूरत नही होने पर या दुरूपयोग

Santosh yadav

Madhusudan Public School
Rekha yadav
Principal

होने पर प्रधान/ बोर्ड आफ ट्रस्टीज, उन संस्थाओ को बन्द कर सकती है व उसके सदस्यो को सेवा मुक्त करने का अधिकार है।

21- यह कि ट्रस्ट के किसी सदस्य की गैरकानूनी गतिविधियों मे या किसी अपराध मे लिप्त पाये जाने पर अथवा किसी न्यायालय द्वारा सजा दिऐ जाने पर अथवा ट्रस्ट के उदेश्यो व कार्यो के विपरित कार्य करने या विचार रखने पर प्रधान/ बोर्ड आफ ट्रस्टीज को ऐसे ट्रस्टी को ट्रस्ट की सदस्यता से निलम्बित (Suspend) करने अथवा बरखास्त (Dismis) करने का अधिकार होगा व अन्य ट्रस्टी (Nominate) नामाकिंत करने का अधिकार प्रधान बोर्ड आफ ट्रस्टीज को होगा।

22- यह कि ट्रस्ट के किसी सदस्य का त्याग पत्र देने पर अथवा शरारिक रूप से असमक्ष हो जाने पर, अथवा मृत्यू होन जाने पर प्रधान ट्रस्टीज/ संस्थापक ट्रस्टी को अन्य ट्रस्टी नामाकिंत करने का अधिकार होगा।

Mislaneous (विविध) :-

1- शान्ती एजुकेशन व चैरिटेबल ट्रस्ट एक मिटिंग सालाना करेगे। जिससे वार्षिक सामान्य मिटिंग कहा जाऐगा जिसमे ट्रस्ट के बारे सभी विषयो पर विचार किया जाऐगा। सामान्य बैठक मे विषयो पर Unanimous (एक मत) अथवा Majority (बहुमत) से निर्णय लिया जायेगा।

2- बोर्ड आफ ट्रस्टीज की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना - अगले साल का बजट निर्धारित्त करना - जाचा हुआ लेखा जोखा प्राप्त करना उसे जाचंना और उस पर विचार करना- लेखा जोखा की जाचं के लिये Income Tax adviser or CA - (Chared Accountant) नियुक्त करना व ट्रस्ट या उसके द्वारा संचालित संस्थाओ के विषयो पर विचार करना व उसे कियान्वित कराना व इसके अलावा उदेश्यो की कियान्वित्त कराना बैठक की सूचना ट्रस्ट के प्रधान/ सचिव को कम से कम 7 दिन की सूचना ट्रस्ट के सभी सदस्यो को देनी होगी। सालाना बैठक ट्रस्ट के कुल सदस्यो की संख्या के आधी से अधिक पर मान्य होगी।

3- प्रधान ट्रस्टी अथवा बोर्ड आफ ट्रस्टीज को किसी भी विषय जो ट्रस्ट के उदेश्यो से अथवा समानता रखता हो कि बैठक बुला सकता है जिसकी स्पष्ट सूचना 7 दिन के पहले देनी होगी।

4- आपातकालीन बैठक प्रधान ट्रस्टी द्वारा अल्पकाल मे भी बुलाई जा सकती है।

5- प्रधान/बोर्ड आफ ट्रस्टीज किसी बैठक को स्थगित कर सकते है व किसी भी बैठक मे पास किए गए रजुलेशन Resolutions को रद्द् कर सकते है बशर्त की वह Resolutions ट्रस्ट के उदेश्यो के विपरित्त हो।

6- स्थगित बैठक गणपूर्ति नही होने पर दौबारा बुलाई जा सकती है।

7- ट्रस्ट का लेखा जोखा/अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का लेखा जोखा साल 31 मार्च को समाप्त वित्तिय वर्ष माना जाऐगा या अन्य कोई बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा समय समय पर निर्धारित्त अवधि मानी जायेगी व उचित्त बही खाता रखा जाएगा तथा इसमे इन्द्राज सभी रसीद जमा या नाम - भुगतान या अन्य लेखा जोखा ट्रस्ट द्वारा नियुक्त CA द्वारा जाचां जाऐगा।

Santosh yadav

Madhusudan Public School
Rekha yadav
Principal

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
975	2002-2003	1

न्यासकर्ता

गवाह

न्यासकर्ता :- सन्तोष यादव

Santosh yadav

न्यासी :- -

गवाह :- लालचन्द नम्बरदार

Slagarwal

सुरेशचन्द

तसदीक की जाती है कि निष्पादक [illegible] हस्ताक्षर हुए दो फरीकैन व गवाहान [illegible] शिनाख्त कराई गई।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमाक 975 आज दिनाँक 05/06/2002 को बही नः 1 जिल्द नः 426 प्रष्ठ नः 165 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 3,779 के प्रष्ठ सख्या 89 से 97 पर चिपकाई गयी।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

दिनाँक 05/06/2002

Madhusudan Public School

Rekha yadav

Principal

8- बोर्ड की बैठक के धटनाक्रम का सचिव या उप सचिव द्वारा लेखा जोखा रखा जाऐगा तथा अगली बैठक मे प्रधान ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाऐगा।

9- ट्रस्ट के किसी अधिनियम को बदला जा सकता है इसके लिये बोड आफ ट्रस्टीज की बैठक होगी जो 2/3 बहुमत के आधार पर बदला जा सकता है लेकिन ट्रस्ट का धर्मार्थ स्वरूप न बदले।

10- यदि ट्रस्ट के सविधान के किसी खण्ड के अर्थ मे सशयं हो तो प्रधान / बोर्ड आफ ट्रस्टीज या सभी ट्रस्टी का निर्णय इस सम्बन्ध मे आखरी और बाध्य होगा।

If any doubt arises as to the meaning of any clause of the constitution of this Trust or its execution, the decision of Trustees in respect there of shall be concessive and binding.

11- ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति के लिये नियम कानुन उप नियम जरूरतानुसार बदल सकते है।

The Trustees may make such rules. requlations, byclaws as may be necessary for the purpose of carrying out the objects of the Trust.

अतः यह ट्रस्ट नामा अपने आत्म ज्ञान तथा प्रसन्न चित से बिना किसी दबाव व बहकाव के लिख दिया है कि सनद रहे समय पर काम आवे तारीख 5 जून सन् 2002

Drafted by me
Navita Agarwal
Navita Aggarwal Adv.
Advocate, Rewari
5/6/2002

श्री मती सन्तोष यादव ट्रस्ट निमार्ण कर्ता

Santosh yadav

गवाह लाल चन्द नम्बरदार रिवाडी

लालचन्द

गवाह सुरेश चन्द अग्रवाल सुपुत्र श्री
श्री नानक चन्द जी अग्रवाल
6287/3 छीपटवाडा रिवाडी तहसील रिवाडी।

S.C. Aggarwal

Madhusudan Public School
Rekha yadav
Principal